

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक,— 9 अगस्त, 2005

संशोधन—अधिसूचना

क्रमांक. 1944 / म.प्र.वि.नि.आ. / 05— विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 52 सहपठित धारा 181(1) एवं 181(2)(जेड) एवं धारा 16 सहपठित धारा 181 (2) (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2680—मप्रविनिआ—2004 दिनांक 5 अक्टूबर 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मानदण्ड तथा व्यापार अनुज्ञाप्तिधारी के कर्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 में निम्न संशोधन करता है ;

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मानदण्ड तथा व्यापार अनुज्ञाप्तिधारी के कर्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 में संशोधन

कथित विनियम में :

विनियम के हिन्दी रूपांतरण में, विनियम के अन्त में शब्दों, “आयोग के आदेशानुसार, अशोक शर्मा, उप सचिव” जोड़ा जावे।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव